क्रम संख्या–29

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून बृहस्पतिवार, 22 फरवरी, 2007 ई0

फाल्गुन 03, 1928 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग

संख्या 26/XII/07/90(32)/2006

देहरादून, 22 फरवरी, 2007

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961) (समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 44 के साथ पठित धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 2007

भाग एक–सामान्य

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 2007 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में– — परिभाषाएं

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "संवर्ग" से नियम 3 के अधीन सृजित अपर मुख्य अधिकारी के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ङ) "चयन समिति" से नियम 8 के अधीन गठित चयन समिति प्रभिप्रेत है;

(च) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" से संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति का प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति न हो और इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो।

भाग दो–संवर्ग और सदस्य संख्या

संवर्ग का सृजन

3. जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारी के पद का एक केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग होगा।

सदस्य संख्या

4. (1) नियम 3 के अधीन सृजित संवर्ग की सदस्य संख्या ऐसी होगी जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान अपर मुख्य अधिकारियों के समस्त 13 पद, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश पारित न किया जाय, संवर्ग की वर्तमान स्थायी सदस्य संख्या होगी।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. (1) संवर्ग में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) 60 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत के कार्य अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा;

(ख) 20 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत के अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा;

(ग) 20 प्रतिशत उप नियम (2) के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सरकार संवर्ग में किसी पद पर किसी सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकती है।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग चार–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

7. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 5 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना चयन समिति को देगा।

भर्ती की प्रक्रिया

8. (1) संवर्ग में किसी पद पर भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जायेगी–

(क)	सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन	...	अध्यक्ष
(ख)	सचिव, कार्मिक विभाग या उसका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून होगा	...	सदस्य
(ग)	सचिव, समाज कल्याण विभाग या उसका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून होगा	...	सदस्य
(घ)	निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड	...	सदस्य
(ङ)	सचिव, पंचायतीराज द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो	...	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता क्रम में जैसा वह उस संवर्ग में है जिसमें उनको पदोन्नति की जानी है एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी अद्यतन चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों, जैसा उचित समझा जाय, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और चयनित अभ्यर्थियों को उस ज्येष्ठता क्रम में जैसा वह उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पाँच–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता और स्थानान्तरण

नियुक्ति

9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें अभ्यर्थियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता–क्रम में, जैसा वह उस संवर्ग में हो, जिससे वे पदोन्नत किये गये, किया जाएगा।

नियुक्तियाँ अधिसूचित की जायेंगी

10. इस नियमावली के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियाँ गजट में अधिसूचित की जायेंगी।

परिवीक्षा

11. (1) संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकते हैं जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक के लिए परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या उसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

स्थाईकरण

12. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

13. संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जाएगी।

तैनाती और स्थानान्तरण

14. सरकार संवर्ग के किसी अधिकारी को किसी जिला पंचायत में तैनात कर सकती है, और उसे एक जिला पंचायत से किसी अन्य जिला पंचायत में स्थानान्तरित कर सकती है।

भाग छः—वेतन आदि

वेतनमान

15. (1) संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वही होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 10,000–325–15,200 रुपये है।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

16. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और प्रशिक्षण यदि कोई हो, प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि सेवा के दो वर्ष पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोषजनक सेवा प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग सात– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

17. इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर चाहे, लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास नियुक्ति के लिए उसे अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

18. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, संवर्ग में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्य रूप से लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

नियमों में शिथिलीकरण

19. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्त को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामलें में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, वहाँ वह उस मामले पर लागू इस नियमावली से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी वह मामले से न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है, या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

20. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 26/XII/07/90(32)/2006, dated February 22, 2007 for general information :

No. 26/XII/07/90(32)/2006
Dated Dehradun, February 22, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 237 read with section 44 of the Uttar Pradesh Kshettra samitis and Zila Parishad Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961), (as amended time to time and as applicable to the State of Uttaranchal) the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTARAKHAND ZILA PANCHAYAT (CENTRAL TRANSFERABLE CADRE OF APPER MUKHYA ADHIKARI) RULES, 2007

Part I--General

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Pradesh Zila Panchayat (Central Transferable Cadre of Apper Mukhya Adhikari) Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Definitions

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) 'Appointing Authority' means the Governor;

(b) 'Cadre' means the Central Transferable Cadre of Apper Mukhya Adhikari is created under rule 3;

(c) 'Government' means the Government of Uttarakhand Pradesh;

(d) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand Pradesh;

(e) 'Selection Committee' means the Selection Committee constituted under rule 8;

(f) 'State' means the State of Uttarakhand Pradesh;

(g) 'Substantive Appointment' means an appointment, not being an *adhoc* appointment or an appointment on deputation on a post in the cadre, made after selection in accordance with these rules.

Part II--Cadre and strength

Creation of cadre

3. There shall be a Central Transferable Cadre of the post of Apper Mukhya Adhikari of Zila Panchayat.

Strength

4. (1) The Strength of the Cadre created under rule 3 shall be such as the Government may from time to time determine.

(2) All these 13 posts of Apper Mukhya Adhikaris existing immediately before the commencement of these rules shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), from the present permanent strength of the Cadre.

Part III--Recruitment

Source of recruitment

5. (1) Recruitment to a post in the Cadre shall be made from the following sources, namely--

(a) 60 percent by promotion from amongst substantively appointed Karya Adhikaris of Zila Panchayat;

(b) 20 percent by promotion from amongst substantively appointed Abhiyanta (Engineer) of Zila Panchayat;

(c) 20 percent by deputation in accordance with sub-rule (2).

(2) The Government may appoint any Government Servant on deputation to a post in the Cadre.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance, with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV--Procedure for recruitment

Determination of vacancies

7. The appointing authority shall determine and intimate to the Selection Committee the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the

number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Procedure for recruitment

8. (1) Recruitment to a post in the Cadre shall made by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit through a Selection Committee constitute as follows:

(a)	Secretary to the Government in the Panchayat Raj Department	...	Chairman
(b)	Secretary to the Government in the Personal Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	...	Member
(c)	Secretary to the Government in the Social Welfare Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	...	Member
(d)	Director, Panchayati Raj Uttaranchal Pradesh	...	Member
(e)	Joint Secretary to the Government in the Panchayati Raj Department nominated by its secretary.	...	Member

(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and place it before the Selection Committee along with their up-to-date character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2) and prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted. The Selection Committee shall forward the list to the appointing authority.

Part V--Appointments, probation, confirmation, seniority and transfer

Appointment

9. (1) The appointing authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 8.

Appointments to be notified

10. All appointments made under these rules shall be notified in the Gazette.

Probation

11. (1) A person substantively appointed to a post in the cadre shall be placed of probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may for reasons to be recorded in writing extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any times during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose service are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

12. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if- Confirmation

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

13. Seniority of person substantively appointed to a post in the cadre shall be determined by the date of order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by the order or in which names are arranged in the appointment order. Seniority

14. The Government may post any officer of the Cadre to any Zila Panchayat and transfer him from one Zila Panchayat to another. Posting and transfer

15. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the Cadre shall be such as may be determined by the Government from time to time. Scale of pay

(2) The scale of pay at the commencement of these rules are Rs. 10,000-325-15,200.

16. A person on probation shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and undergone training any, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed: Pay during probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Part VII--Other provisions

17. No recommendation, either written or oral, other than those required under these rules be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. Canvassing

18. In regard to the matters not specifically covered by these rules, persons appointed to the cadre shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State. Regulation of other matters

19. Where the Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of the persons appointed to the cadres causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in these rules applicable to the case by order, relax or dispense with the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. Relaxation from the rules

Savings

20. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in the Government issued from time to time in this regard.

By Order,

P. K. MOHANTI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 पंचायतीराज/95–2007–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।